**राज्यपाल सचिवालय, बिहार**
**(जन–सम्पर्क शाखा)**
**राजभवन, पटना–800022**

ई–मेल–**pr.rajbhavan@gmail.com**
**prrajbhavanbihar@gmail.com**
मोबाईल–9431283596


## प्रेस–विज्ञप्ति

# राज्यपाल–सह–कुलाधिपति ने 39 बी॰एड॰ कॉलेजों की असम्बद्धता हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश कुलपतियों को दिया

**पटना, 20** नवम्बर 2018

महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति श्री लाल जी टंडन ने राज्यपाल सचिवालय के पूर्व निर्गत आदेशों के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले बी॰एड॰ कॉलेजों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई का निदेश सभी कुलपतियों को दिया है। ज्ञातव्य है कि बी॰एड॰ कॉलेजों में शिक्षा–व्यवस्था के आवश्यक सुधार हेतु नियमित पठन–पाठन तथा शिक्षकों–छात्रों की नियमित उपस्थिति आदि सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से 'बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976' (यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के तहत 'बी॰एड॰ पोस्ट एप्स' के जरिये राज्यपाल सचिवालय को 'क्लासरूम' की तस्वीरें अपलोड कर भेजने को निदेशित किया गया था। परन्तु समीक्षा के दौरान पाया गया है कि बार–बार स्मारित करने के बावजूद मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के कुल 39 बी॰एड॰ कॉलेजों ने तस्वीरें अपलोड कर नहीं भेजी हैं।

कुलाधिपति श्री टंडन ने इन 39 बी॰एड॰ कॉलेजों से संबंधित मगध विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एवं मौलाना मजहरूल हक अरबी–फारसी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को इन कॉलेजों द्वारा 'NCTE' के मान्यता संबंधी नियमों तथा विश्वविद्यालयों के सम्बद्धता विषयक प्रावधानों का परिपालन नहीं कर पाने के परिणामस्वरूप, उनके विरूद्ध असम्बद्धता की कार्रवाई प्रारंभ करने को निदेशित किया है।

फोटो अपलोड कर पाने में विफल रहने वाले मगध विश्वविद्यालय के कुल 23, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 05 तथा मौलाना मजहरूलहक अरबी–फारसी विश्वविद्यालय के कुल 11 बी॰एड॰ कॉलेजों को असम्बद्ध करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ करने का निदेश देते हुए राज्यपाल सचिवालय द्वारा कहा गया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी बी॰एड॰ कॉलेजों को अपनी आधारभूत संरचना, शिक्षक–छात्र संख्या तथा वेतनमान सहित पदों की विवरणी आदि बताते हुए आवश्यक सभी सूचनाएँ अपने वेबपोर्टल पर प्रदर्शित करने को आदेशित किया था; परन्तु इस दिशा में भी अनुपालन संतोषजनक नहीं है।

जिन 39 बी॰एड॰ कॉलेजों की असम्बद्धता हेतु आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु निदेशित किया गया है, उनसे संबंधित कुलपतियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे बी॰एड॰ कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के प्रति अगंभीर इन कॉलेजों के विरूद्ध छात्रों के शिक्षा संबंधी अधिकारों के हनन तथा राज्यपाल सचिवालय द्वारा पूर्व निर्गत आदेशों के प्रति शिथिलता बरतने के परिणामस्वरूप अपेक्षित कठोर कार्रवाई यथाशीघ्र सुनिश्चित करेंगे। कुलपतियों को बी॰एड॰ कॉलेजों में शिक्षण–व्यवस्था का सतत् अनुश्रवण करते रहने को भी कहा गया है।

.....